न्यायालय जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 14 / प्रा0पत्र / 2020

सरकार बनाम गोकुलसिंह

अन्तर्गत धारा 3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्रा0पत्र बाबत सुपुर्दगी वाहन ट्रेक्टर मय ट्राली संख्या रजि0 RJ 17 RA 7105, RJ 17 EA 1084

अन्तर्गत धरा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

29/5/20 प्रार्थी नेपालसिंह आ0 सौभागसिंह राजपूत द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया। अभिभाषक प्रार्थी व पेरोकार रसद उपस्थित । प्रा0पत्र में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी सुपुर्दगीदार के वाहन ट्रेक्टर मय ट्राली संख्या रजि0 RJ 17 RA 7105, RJ 17 EA 1084 को जब्त किया गया है। प्रार्थी जप्त शुदा वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। उक्त वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता नही है। दिनांक 31.01.2020 को प्रार्थी का वाहन बतोर किराये से चला रहा था व उक्त ट्रेक्टर मय ट्राली को प्रार्थी के द्वारा गोकुलसिंह के खेत से गेंहू भरकर अडडे तक छोडने हेतु 500/-रू किराये पर लिया गया था उक्त वाहन में किसी तरह का सरकारी या अवैध गेंहू का परिवहन नही किया जा रहा था। सुपुर्दगीदार न्यायालय द्वारा निर्देशित शर्तो की पालना करगा व वाहन का खुर्द बुर्द नही करेगा। जब्त वाहन ट्रेक्टर मय ट्राली संख्या रजि0 RJ 17 RA 7105, RJ 17 EA 1084 को सुपुर्दगी में दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

दौराने सुनवाई अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मेंमों की पुष्ठी करते करते हुए जप्त वाहन को सुपुर्दगी में देने का अनुरोध किया गया। इस पर पेरोकार रसद द्वारा व्यक्त किया कि वाहन 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थाना भवानीमण्डी में दर्ज प्राथमिकी 32/2020 के परिणाम स्वरूप जब्त है। वाहन को मुक्त नही किया जावे।

हमने प्रस्तुत प्रा0पत्र का अध्ययन किया व बहस पर मनन किया प्रकरण में अनुसधान अधिकारी श्री रोडूलाल से मोबाईल पर जानकारी करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में कोविड-19 के कारण माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत नही किया गया है। उक्तानुसार प्रकरण न्यायालय हाजा में पेण्डिंग नही है व जिस विशेष माननीय अदालत के समक्ष प्रकरण विचाराधीन रहेगा उक्त माननीय न्यायालय को जप्तशुदा वाहन की अनुसधान में आवश्यकता होने से इन्कार नही किया जा सकता (विद्वान मजिस्ट्रेट जो कि विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम भी है)। इस कम में आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 खंड 6क और 6ङ में स्पष्ट किया गया है " विशेष अदालत के समक्ष कार्यवाही लंबित रहने के दौरान कलेक्टर को जब्त किए माल को रिहा करने का अधिकार नही है" । उपरोक्त विवेचन से प्रा0पत्र के माध्यम से वाहन सुपुर्दगी बाबत अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रा0पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

जिला कलक्टर
झालावाड़